न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा

पीठासीन अधिकारी : बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 14/2020

उनवानी प्रकरण: 1- हिमान सिंह पुत्र श्री ग्यान सिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम कन्हाकी तहसील राजाखेड़ा
जिला धौलपुर। -------प्रार्थीगण

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजाखेड़ा)
2- श्रीमती खिल्लो देवी पत्नि श्री केरन सिंह
3- चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री माता प्रसाद
4- श्रीमती श्यामन्ती देवी पत्नी जसमन्त सिंह
5- श्रीमती राखी देवी पत्नि माता प्रसाद
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम
कन्हाकी तहसील राजाखेड़ा।

---- मूल अप्रार्थीगण

6- अवधेश कुमार पुत्र कीरत सिंह
7- द्वारिका प्रसाद पुत्र पोसीराम
8. सतभान पुत्र कीरत सिंह
जाति राजपूत निवासी ग्राम बरई कविलाल
तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर
9- पूरन सिंह पुत्र श्री बिनु आराम जाति
जादव निवासी ग्राम नादिला तह० राजाखेड़ा

---- तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र आधीन धारा 131 एवं
136 एल० आर० एक्ट 1956

1- उपस्थित :- 1- श्री किशनसिंह भोगी वकील प्रार्थी
2- पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :- 11-01-2021

1/ प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (राज.)

उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः---2

अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी सं. 6 लगा. 9 विवादित आराजी ख.न. 4180/6679 रकबा 5.1218 हैक्टेयर स्थित ग्राम बसई काविलास तहसील राजाखेडा के खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। विवादित आराजी से अप्रार्थी सं. 2 ला. 5 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है न ही कभी रहा है। अप्रार्थीगण सं. 2 ला. 5 ने अप्रार्थी संख्या 1 एवं पटवारी हल्का तथा गिरदावर से साज करके अपने रकबे से अधिक रकबे की नक्शा में तरमीम बिना प्रार्थी को सुने प्रार्थी की गैर हाजरी में मौके पर जाये बिना तहसील राजाखेडा कार्यालय में बैठकर प्रार्थी की कब्जे वाले रकबे वाले रकबे में कर दी है जो गलत है। यह तरमीम मौके पर कब्जा काश्त एवं रकबा पूर्ति करते हुए पुनः किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अप्रार्थी सं. 2 ला. 5 आ.ख.न. 4185/6681 रकबा 3.4145 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है जो वर्तमान तरमीम से पृथक जगह पर काबिज है। गलत तरमीम के आधार पर विवादित आराजी में कब्जा करना चाहते हैं आ.ख.न. 4185/6681 का रकबा अन्य आराजी ख.न. 4180 एवं 4185 की दरमियानी मेढ के सीध में पूर्व दिशा की ओर तक हो जाता है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 एवं पटवारी व गिरदावर ने ख.न. 4185/6681 की तरमीम प्रार्थी की विवादित आ.ख.न. 4180/6679 के कब्जे पर ख.न. 4180 की उत्तरी तरफ तक कर दी है जब प्रार्थीगण का कब्जा अपने रकबे की हद तक ख.न. 4180 एवं 4185 की दरमियानी मेढ की पूर्व दिशा तक है जहां पर विवादित आराजी का रकबा पूर्ण हो जाता है। अप्रार्थीगण गलत तरमीम की आड में प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। यदि ऐसा होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। तरमीम को शुद्ध के लिये तहसील के 6 माह से चक्कर लगाने के उपरान्त भी तहसीलदार द्वारा शुद्ध नहीं किया, तब प्रार्थी ने अपने हितों के रक्षा के लिए एवं तरमीम शुद्ध कराने के लिए न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम शुद्ध करने बावत निवेदन किया है।

✓ प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा (राज.)
उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमश---3

जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 7.1.14 को न्यायालय में यह जवाब पेश किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र के आदिनांक बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए कथन किया है कि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों के सम्बन्ध में पटवारी हल्का के रिकार्ड एवं मौके की जाँच करायी गयी तो यह पाया गया कि प्रार्थी के आ.खसरा न 4180/6679 की आकृति नक्शा लट्ठा में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बन्दोबस्त के समय बनायी गयी है। उक्त ख.न के दक्षिण दिशा में एक आकृति खाली बनी थी। जिसमें किसी का कोई नम्बर नहीं दर्ज था। वन टू वन मेपिंग की कार्यवाही में उक्त आकृति खाली को ख.न 4185/6681 जोड़ दिया गया है जो गलत जाहिर होता है और उक्त न की आकृति की दक्षिणी लाइन ख.न 4180 व 4185 की मध्य मेढ से कोई भी निकली है तो वो लाइन रकबे के अनुसार सही है। जवाब के साथ मौका पर्चा संलग्न है। मौका पर्चा में भी पटवारी द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए यह कथन का इजहार किया है कि वन टू वन मेपिंग के दौरान खाली आकृति को ख.न 4185/6681 की तरफ जोड़ दिया है जो गलत है। ख.न 4180/6679 की आकृति की दक्षिणी लाइन ख.न 4180 के उत्तरी मेढ व ख.न 4180 व 4185 की मध्य मेढ पूर्व की ओर जहाँ समाप्त होती है उसी के सामने पूर्व दिशा की ओर जहाँ समाप्त होती है उसी के सामने पूर्व दिशा की ओर ख.न 4164/667 की पश्चिमी लाइन का मिलान। जिससे ख.न 4180/6679 की दक्षिणी मेढ व ख.न 4185/6681 की उत्तरी मेढ होगी। इसलिए खाली आकृति का ख.न 4180/6679 की ओर मिलाया जाना उचित बताया है। अन्य कोई आपत्ति या उजर पेश नहीं आया।

बहस उभयपक्ष वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं तथ्यों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा है उस पर तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सही बताया है तथा नक्शे में वन टू वन मेपिंग के दौरान प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख.न 4180/6679 के रकबे की तरमीम को उत्तर से

उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

(4)

आ.ख.न 4185/6681 के खसरे मे जोड़ दिया जाना पाया गया है जो काबिल दुरुस्ती है। इसलिए इस मुताबिक तहसीलदार राजाखेड़ा के प्रस्तावानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार राजाखेड़ा के प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आ.ख.न 4180/6679 के उत्तर दिशा मे बनी वाली आकृति को वन टू वन मैपिंग के दौरान त्रुटि से ख.न 4185/6681 मे जोड़ दिया गया था उसे शुद्ध किया जाकर तहसीलदार राजाखेड़ा के प्रस्तावानुसार प्रार्थी के ख.न 4180/6679 मे जोड़ा जाकर तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मौका पर्चा पटवारी एव प्रस्तावित नक्शे की प्रति के साथ तहसीलदार राजाखेड़ा को पालना हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11-01-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बृजेश कुमार मंगल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा धौलपुर (राज.)